2/4/18

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व उनके अभिभाषक उप० नहीं है। रेस्पो० क्र० 1 व 2 के अभिभाषक श्री बाबूलाल जोशी उप०। अपी० व उनके अभि० को 2-3 बार आवाज दिलाई गई लेकिन कोई उप० नहीं हुये। अदालत समय समाप्ति से पूर्व पुनः अपी० व उनके अभि० को आवाज दिलाई गई, लेकिन फिर भी कोई उप० नहीं हुये। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजिरी अदम पैरवी अपीलार्थी में खारिज की जाती है। पत्रावली नतीजा सुनाई होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

[illegible]
टोंक